न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-230/2020
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) सुरेन मंडल, पिता-स्व0 उगन लाल मंडल,
सा0-अमहारा, वार्ड सं0-08, थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया
(2) बिपीन मंडल, पिता-उगन लाल मंडल,
सा0-मझुवा, वार्ड नं0-10, पो0+थाना-फारबिसगंज
जिला-अररिया
(हीरो पैशन प्रो मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR39J-5850
चेसीस सं0-MBLHA10AWCGE55380
ईंजन सं0-HA10ENCGE21034 के मालिक) ....विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-3472/हि0शा0,दिनांक-11.12.2019) के आलोक में जोगबनी थाना कांड संख्या-290/2019, दिनांक-04.10.2019, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त हीरो पैशन प्रो मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR39J-5850, चेसीस सं0-MBLHA10AWCGE55380, ईंजन सं0-HA10ENCGE21034 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षियों को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के वावजूद विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-3472/हि0शा0, दिनांक-11.12.2019) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि स0अ0नि0, जोगबनी थाना द्वारा दिनांक 04.10.2019 को आसूचना के आधार पर ओसरी मध्य विद्यालय के सामने पक्की सड़क पर वाहन जांच के क्रम में एक मोटर साईकिल को रूकने का इशारा किया गया। विपक्षी सं0-01(वाहन चालक) भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल के सहयोग पकड़ लिया गया। दो स्वतंत्र साक्षी-1. सुनील कुमार, पे0-चन्द्रेश्वर सादा तथा उपेन सादा, पे0-चन्देश्वर सादा, सा0-टिकरा, वार्ड सं0-01, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया के समक्ष मोटर साईकिल पर रखे बोरा का तलाशी लेने पर नेपाली देशी दिलवाले शराब की कुल-24 बोतल प्रति बोतल 300 मिली लीटर कुल-7.200 लीटर बरामद हुआ। बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। विपक्षीयों के विरूद्ध जोगबनी थाना कांड संख्या-290/2019, दिनांक-04.10.2019, धारा-30(क)/38(1) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग भारी मात्रा में अवैध शराब को ढोने में किया गया है। उनकी प्राथ्रना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
01.04.2021	(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-3472/हि0शा0, दिनांक-11.12.2019) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि जोगबनी थाना कांड संख्या-290/2019, दिनांक-04.10.2019, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को सहायक अवर निरीक्षक, जोगबनी थाना द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग 7.200 लीटर नेपाली देशी दिलवाले शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जोगबनी थाना कांड संख्या-290/19, दिनांक-04.10.2019, धारा-30(क)/38(i) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में **जब्त हीरो पैशन प्रो मोटर साईकिल पंजियन सं0-BR39J-5850, चेसीस सं0-MBLHA10AWCGE55380, ईंजन सं0-HA10ENCGE21034 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अंनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1017/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	